	(ख) यदि ऐसा व्यक्ति ग्राम परिषद का सदस्य नहीं है तो उस व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा जाए और ऐसे को अधिभार की राशि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम परिषद को अदा करने का निर्देश दिया जाए और यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि अदा नहीं करता है तो सहायक आयुक्त निर्धारित अनुसार इसे वसूल करेंगे । (4) सहायक आयुक्त लेखा परीक्षण समाप्त होने के एक माह के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति उप आयुक्त और ग्राम परिषद को भेजेगा । (5) सहायक आयुक्त के आदेश से कोई भी व्यक्ति दुखी है तो वह उप धारा (4) के अन्तर्गत इस आदेश के जारी होने के तीस दिनों के भीतर उपायुक्त को अपील कर सकते हैं, ऐसे अपील पर उपायुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।	
	44. (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत पिछले वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के तीन माह के भीतर सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा । (2) रिपोर्ट प्रथम केप्टन द्वारा तैयार किया जाएगा और ग्राम परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ग्राम परिषद के एक संकल्प की प्रतिलिपि के साथ सहायक आयुक्त को भेजा जाएगा ।	प्रशासनिक रिपोर्ट
	अध्याय – VI **ग्राम परिषद का नियंत्रण**	
	45. उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त की शक्ति इस प्रकार है– (i) ग्राम परिषद के नियंत्रणाधीन वाले ग्राम परिषद के कार्यवाही से कोई भी उद्धरण अथवा कोई भी पुस्तक, रिकार्ड, पत्राचार अथवा दस्तावेज; और (ii) निरीक्षण के प्रयोजन अथवा परीक्षण हेतु कोई विवरण, योजना, प्राकलन विवरण, लेखा अथवा रिपोर्ट ।	कार्यवाही आदि मांगने का अधिकार
	46. यदि किसी भी समय सहायक आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि ग्राम परिषद ने इस विनियम द्वारा लागू किए गए कर्त्तव्य के निष्पादन में जानबूझ कर चूक किया हो, वह उसे लिखित में आदेश द्वारा कर्त्तव्य के निष्पादन के लिए एक अवधि निर्धारित कर सकता है । बशर्ते कि निर्धारित अवधि के भीतर कर्त्तव्य का निष्पादन नहीं किया गया तो उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त किसी अन्य व्यक्ति को इसे पूरा करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, और निदेश दिया जाएगा कि ऐसे कर्त्तव्य के निष्पादन के लिए व्यय चूककर्त्ता ग्राम	ग्राम परिषद द्वारा ड्यूटी के निष्पादन में चूक